न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	29.04.2016	29.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी चौधरियो का मोहल्ला वार्ड नं0 9 उनियारा जिला टोंक मैसर्स शुभम एजेन्सीज नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक

2– मैसर्स शुभम एजेन्सीज नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक

3–श्री अमित गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37 / 37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0

4– मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37 / 37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री दिनेश कुमार शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.12.2015 को समय 2.30 पी.एम पर निरीक्षण मैसर्स शुभम एजेन्सीज नैनवा रोड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचे प्रोपराईटर की ... से श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी चौधरियो का मोहल्ला वार्ड नं0 9 उनियारा जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

टोंक मैसर्स शुभम एजेन्सीज नैनवा रोड उनियारा जिला टोंकखाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान मे **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एसटी/ई/टी31/डब्ल्यू–39 एंव पैकिग की दिनांक अक्टूबर 2015 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता ओमप्रकाश जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के 3 कार्टूनो मे 500 मिलीग्राम पैक के लगभग 150 पैकेट पैक्ड अवस्था मे **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)**रखे हुये मे से 500 मिलीग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री ओमप्रकाश जैन को रू0 140/–अक्षरे एक सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** 4 पैकेट प्रत्येक 500 मिलीग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1239 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1239 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. ओमप्रकाश जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री ओमप्रकाश जैन ने मौके पर **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी कोई बिल प्रस्तुत नही किया। श्री जैन से पत्राचार करने पर उनके द्वारा दिनांक 16.03.2016 को कार्यालय मे मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37/37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0 का बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 1790 दिनांक 14.10.2015 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर ह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2016/995 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1027/एक्ट/2015/44 दिनांक 12.01.2016 अनुसार ओमप्रकाश जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब पेश पेश किया। जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाप ऑयल (जय श्री कन्हैया ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी चौधरियो का मोहल्ला वार्ड नं0 9 उनियारा जिला टोंक मैसर्स शुभम एजेन्सीज नैनवा रोड उनियारा जिला [illegible] स हजार रू0) अप्रार्थी श्री अमित गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताड़केश्वर [illegible] फूड [illegible] क्ट एच 1–37/37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झ[illegible] एक्सटेंशन ज[illegible] 0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की ज[illegible] की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष [illegible] य दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

29.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

29.10.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:12 IST
Reason: SelfAttested